परीक्षा समिति की बैठक दिनांक ... 2017 का कार्यवृत्त

उपस्थिति:

1	प्रो0 विजय कृष्ण सिंह	कुलपति	अध्यक्ष
2	प्रो0 अशोक कुमार श्रीवास्तव	अधिष्ठाता, कला संकाय	सदस्य
3	प्रो0 श्रीमती शैलजा सिंह	अधिष्ठाता, शिक्षा संकाय	सदस्य
4	प्रो0 जितेन्द्र मिश्र	अधिष्ठाता, विधि संकाय	सदस्य
5	प्रो0 गोपी नाथ	अधिष्ठाता, वाणिज्य संकाय	सदस्य
6	डॉ0 अवधेश सिंह	अधिष्ठाता, कृषि संकाय	सदस्य
7	प्रो0 सी0पी0 श्रीवास्तव	आचार्य, दर्शनशास्त्र विभाग	सदस्य
8	प्रो0 विनोद कुमार सिंह	अध्यक्ष, विश्वविद्यालय शिक्षक संघ	सदस्य
9	डॉ0 एस0एन0 शर्मा	अध्यक्ष, मुआक्टा	सदस्य
10	प्रो0 रविशंकर सिंह	अधिष्ठाता, छात्र कल्याण	विशेष आमंत्रित
11	डॉ0 अमरेन्द्र कुमार सिंह	परीक्षा नियंत्रक	सचिव

1. परीक्षा समिति की आकस्मिक बैठक दिनांक 06/03/2017, 20/04/2017, 07/06/2017, 23/06/2017, 20/07/2017 एवं दिनांक 10/08/2017 की कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार।

   निर्णय-- समिति ने सर्वसम्मति से परीक्षा समिति की आकस्मिक बैठक दिनांक 06/03/2017, 20/04/2017, 07/06/2017, 23/06/2017, 20/07/2017 एवं दिनांक 10/08/2017 की कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की गयी।

2. वार्षिक परीक्षा वर्ष--2017 एवं सेमेस्टर परीक्षा वर्ष--2017 में परीक्षा के समय अनुचित साधन प्रयोग (UFM) में आरोपित छात्रों के परीक्षाफल के निस्तारण के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि अबतक विश्वविद्यालय में प्रचलित नियमावली/अध्यादेश के द्वारा यू0एफ0एम0 प्रकरण निस्तारित किया जाता था। इस वर्ष राज्य सरकार ने उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय की परीक्षा में अनुचित साधन प्रयोग के निवारण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या--197/सत्तर--1--2017--16(37)/2012 लागू किया है। ऐसी स्थिति में इस तरह के प्रकरणों/संदर्भ में अनुचित साधन प्रयोग (UFM) का निस्तारण कैसे होगा के प्रकरण पर माननीय कुलपति जी ने विश्वविद्यालय अधिवक्ता से विधिक सलाह मांगी गयी, जिसमें विधिक सलाहकार ने अपनी आख्या में उल्लेख किया है कि--"वार्षिक परीक्षा वर्ष--2017 एवं सेमेस्टर परीक्षा वर्ष--2017 में परीक्षा के समय अनुचित साधन प्रयोग (UFM) में आरोपित छात्रों के परीक्षाफल का निस्तारण विश्वविद्यालय में पूर्व से प्रचलित नियमावली/अध्यादेश के अनुरूप कार्यवाही किया जा सकता है, उपरोक्त कार्यवाही से वांछित छात्रों के विरूद्ध अनुचित साधन प्रयोग के सम्बन्ध में दर्ज एफ0आई0आर0 या अन्य किसी प्रकार की कार्यवाही पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा"। जिसके क्रम में माननीय कुलपति जी द्वारा विधिक राय के अनुसार कार्यवाही कराते हुए परीक्षा समिति को अवगत कराने हेतु लिखा है।

   तदक्रम में वार्षिक परीक्षा वर्ष--2017 में अनुचित साधन प्रयोग के अन्तर्गत कुल 121 अभ्यर्थी नकल में आरोपित हुए थे। उत्तरपुस्तिका का मूल्यांकन विषय विशेषज्ञ द्वारा होने के बाद सम्बन्धित छात्रों को आरोप पत्र प्रेषित करने के उपरान्त उत्तरपुस्तिकाओं का अनुचित साधन प्रयोग निस्तारण समिति द्वारा निस्तारण किया गया है, अनुचित साधन प्रयोग निस्तारण समिति के संस्तुतियों के अनुसार कार्यवाही पूर्ण करने पर विचार।

   निर्णय--समिति ने सर्वसम्मति से वार्षिक एवं सेमेस्टर परीक्षा वर्ष--2017 में अनुचित साधन प्रयोग में आरोपित छात्रों की उत्तरपुस्तिकाओं पर 'अनुचित साधन प्रयोग निस्तारण समिति' द्वारा की गयी संस्तुतियों का अनुमोदन करते हुए तदनुरूप अग्रेतर कार्यवाही पूर्ण करा लेने का निर्णय लिया।

   (क) वार्षिक परीक्षा वर्ष--2017 गौरव चौधरी पुत्र श्री राकेश चौधरी बी0ए0 भाग तीन, अनुक्रमांक--1710111610052 [illegible] महाविद्यालय [illegible] [illegible] के सम्बन्ध में [illegible] [illegible] उत्तरपुस्तिका मूल्यांकन [illegible] [illegible] कि उत्तरपुस्तिका में अनुचित साधन प्रयोग की सामग्री संलग्न नहीं है। अनुचित साधन प्रयोग निस्तारण समिति ने छात्र को दो वर्ष के लिए परीक्षा से वंचित किया है। तदक्रम में गौरव चौधरी के प्रकरण पर विचार।

   निर्णय--समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि गौरव चौधरी पुत्र श्री राकेश चौधरी, अनुक्रमांक--1710111610052, बी0ए0 भाग तीन वर्ष--2017 का परीक्षाफल निरस्त करते हुए इन्हें अगले दो वर्षों क्रमशः वर्ष--2018 तथा वर्ष--2019 की परीक्षा में बैठने से वंचित किया।

[illegible] रितेश कुमार [illegible] मद्धेशिया [illegible] अनुक्रमांक–1720111610006 तथा शैलेष कुमार वाजपेयी पुत्र प्रेमचन्द्र वाजपेयी बी0ए0 भाग तीन, अनुक्रमांक–1720111610008, हिन्दी तृतीय प्रश्नपत्र, कक्ष संख्या–273, केन्द्र बागेश्वरी शिक्षण संस्थान महाविद्यालय, मईल, देवरिया अनुचित साधन प्रयोग में आरोपित है। परिप्रेक्षक एवं केन्द्राध्यक्ष की रिपोर्ट है कि रितेश कुमार के स्थान पर अविनाश पुत्र अरविन्द कुमार, अनुक्रमांक–1720111610006 एवं शैलेश कुमार बाजपेयी पुत्र प्रेमचन्द्र बाजपेयी, अनुक्रमांक–1720111610008 के स्थान पर सुधीर कुमार पुत्र रामभवन परीक्षा दे रहे थे, जिनको उड़ाका दल ने पकड़ा। परिक्षक के रिपोर्ट के अनुसार रितेश कुमार के उत्तरपुस्तिका में अनुचित साधन सामग्री संलग्न नहीं है। अनुचित साधन प्रयोग निस्तारण समिति ने रितेश कुमार को दोष मुक्त किया है।

शैलेष कुमार वाजपेयी के प्रकरण में अनुचित साधन प्रयोग निस्तारण समिति ने प्ररिप्रेक्षक/केन्द्राध्यक्ष एवं संयोजक उड़ाका दल के रिपोर्ट के आधार पर इस प्रकरण को परीक्षा समिति को संदर्भित किया है। संदर्भित प्रकरण पर विचार। (दोनों छात्रों के विरूद्ध एफ0आई0आर0 संख्या–0152 दिनांक 27/04/2017 थाना–मईल, देवरिया में दर्ज हैं)

निर्णय–समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि रितेश कुमार पुत्र गोरखनाथ मद्धेशिया, अनुक्रमांक–1720111610006 तथा शैलेष कुमार वाजपेयी पुत्र प्रेमचन्द्र वाजपेयी, अनुक्रमांक–1720111610008, बी0ए0 भाग तीन वर्ष–2017 का परीक्षाफल निरस्त करते हुए दोनों छात्रों को अगले दो वर्षों क्रमशः वर्ष–2018 तथा वर्ष–2019 की परीक्षा में बैठने से वंचित किया।

साथ ही बागेश्वरी शिक्षण संस्थान महाविद्यालय, मईल, देवरिया केन्द्र पर हुई इस तरह की बार–बार घटना के दृष्टिगत समिति ने इस महाविद्यालय को परीक्षा केन्द्र हेतु प्रतिबन्धित सूची में रखते हुए सत्र 2017–18 की वार्षिक परीक्षा में केन्द्र न बनाने का निर्णय लिया।

(ग) वार्षिक परीक्षा वर्ष–2017 में सौरभ चौधरी पुत्र अरविन्द कुमार चौधरी बी0ए0 भाग तीन अनुक्रमांक–1720114130038, इतिहास तृतीय प्रश्नपत्र, कक्ष संख्या–306, केन्द्र–श्री मोहन धनशीरा महाविद्यालय, जंगल बलहर, संतकबीरनगर अनुचित साधन प्रयोग में आरोपित है। उड़ाका दल की रिपोर्ट है कि परीक्षार्थी सौरभ चौधरी के स्थान पर इस्माईल पुत्र इब्राहिम परीक्षा दे रहा था, इस्माइल ने लिखित रूप से स्वीकार किया है कि वह दूसरे के स्थान पर परीक्षा दे रहा था। अनुचित साधन प्रयोग समिति ने छात्र की सत्र 2016–17 का परीक्षाफल निरस्त किया है। सौरभ चौधरी के प्रकरण पर विचार।

निर्णय–समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि सौरभ चौधरी पुत्र अरविन्द कुमार चौधरी, अनुक्रमांक–1720114130038, बी0ए0 भाग तीन वर्ष–2017 का परीक्षाफल निरस्त करते हुए इन्हें अगले दो वर्षों क्रमशः वर्ष–2018 तथा वर्ष–2019 की परीक्षा में बैठने से वंचित किया।

4. अमृत कुमार गुप्ता, बी0एस–सी0 भाग तीन वर्ष–2016, अनुक्रमांक–1610121720082, केन्द्र–लगना देवी ताराकान्त महाविद्यालय, रनिहवा देवरिया, भौतिकी द्वितीय प्रश्नपत्र की परीक्षा में सम्मिलित है, इस विषय के पी–7 में छात्र उपस्थित है किन्तु छात्र के अंकतालिका में भौतिकी द्वितीय प्रश्नपत्र में अनुपस्थित दिखाया गया है, जबकि पी–4 पी–6 और पी–7 के अनुसार पंजीकृत छात्र संख्या 30 है और उपस्थित छात्रों की भी संख्या 30 है। तदक्रम में अमृत कुमार गुप्ता के परीक्षाफल पर विचार।

निर्णय–समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि अमृत कुमार गुप्ता, बी0एस–सी0 भाग तीन वर्ष–2016, अनुक्रमांक–1610121720082, केन्द्र–लगना देवी ताराकान्त महाविद्यालय, रनिहवा देवरिया, भौतिकी द्वितीय प्रश्नपत्र में औसत अंक देकर परीक्षाफल घोषित कर दिया जाय।

साथ वर्ष–2016 एवं वर्ष–2017 की वार्षिक परीक्षा के सन्दर्भ में इस तरह के प्रकरणों में औसत अंक देने के सम्बन्ध में निर्णय लेने हेतु समिति ने सर्वसम्मति से माननीय कुलपति जी को अधिकृत किया।

5. वार्षिक परीक्षा वर्ष–2017 में [illegible] वनस्पति विज्ञान प्रायोगात्मक परीक्षा, केन्द्र–[illegible] [illegible] पडरौना, कुशीनगर [illegible] [illegible] इकौना बाबा, गोरखपुर तथा बी0एस–सी0 द्वितीय [illegible] [illegible] केन्द्र–[illegible] शिव [illegible]पुर, देवरिया में डॉ0 प्रशान्त सिंह [illegible] [illegible] बाह्य परीक्षक रहे हैं, इन [illegible] महाविद्यालयों के प्रायोगिक परीक्षा के [illegible] परीक्षा नियंत्रक कार्यालय से पत्रांक 1148 प0नि0का0/2017 दिनांक 15/06/2017 पत्रांक 1205/प0नि0का0/2017 दिनांक 18/07/2017 पत्रांक 1244/प0नि0का0/2017 दिनांक [illegible] [illegible] पत्रांक 1292 प0नि0का0/2017 दिनांक 31/07/2017 प्रेषित किया गया था, जिसके क्रम में [illegible] ने डॉ0 प्रशान्त सिंह को लिखित रूप से दिनांक 19/08/2017 को पत्र [illegible] कि [illegible] परीक्षा केन्द्रों की प्रायोगिक परीक्षा की उत्तरपुस्तिकाएं मूल्यांकित कर [illegible] प्रायोगिक परीक्षा की उत्तरपुस्तिकाएं कार्यालय को प्राप्त

[illegible] प्रायोगिक [illegible] के मूल्यांकन में [illegible] द्वारा किए गये संज्ञेय अपराध में मुझको सम्मिलित न किया जाय। इनके परीक्षा परिणाम में हो रही देरी के कारण माननीय कुलपति जी द्वारा छात्रहित में विभागाध्यक्ष को पुनः परीक्षा करा लेने एवं प्रकरण को आगामी परीक्षा समिति में रिपोर्ट करने का निर्णय लिया। दोनों महाविद्यालयों की सम्बन्धित परीक्षा की कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है। तदक्रम में पकरण पर विचार।

निर्णय–समिति ने विस्तृत विचारोपरान्त निर्णय लिया कि सम्बन्धित परीक्षकों को पत्र प्रेषित कर सचेष्ट किया जाय कि भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति न हो। क्योंकि इस तरह की घटना से विश्वविद्यालय की गरिमा धूमिल होती है।

6. (क) अंजली जायसवाल, बी0एड0 द्वितीय वर्ष–2017, केन्द्र–विमल महिला महाविद्यालय, मानस विहार, पादरी बाजार, गोरखपुर की छात्रा है इन्होंने अपने आवेदन में बी0एड0 द्वितीय वर्ष–2017, प्रायोगिक परीक्षा, अस्वस्थ होने के कारण छूट जाने का उल्लेख किया है, और मांग किया है कि मेरी बी0एड0 द्वितीय वर्ष की प्रायोगिक परीक्षा करा लिया जाय, अंजली जायसवाल ने अस्पताल में अपने को एडमिट होने एवं डिस्जार्ज होने से सम्बन्धित चिकित्सक की पूरी रिपोर्ट की छायाप्रति संलग्न किया है। बी0एड0 द्वितीय वर्ष की प्रायोगिक परीक्षा कराने के सम्बन्ध में संकायाध्यक्ष ने उल्लेख किया है कि "बी0एड0 आर्डिनेन्स में बी0एड0 की छूटी प्रायोगिक परीक्षा कराने का प्राविधान नहीं है। परीक्षा समिति में रखकर निर्णय लिया जा सकता है।" तदक्रम में अंजली जायसवाल के प्रकरण पर विचार।

(ख) रूपाली सिंह, बी0एड0 प्रथम वर्ष–2017, केन्द्र–रामचन्द्र उपाध्याय महाविद्यालय धनौती भाटपाररानी, देवरिया की छात्रा हैं, इन्होंने ने अपने आवेदन में बी0एड0 प्रथम वर्ष–2017, प्रायोगिक परीक्षा, अस्वस्थ होने के कारण छूट जाने का उल्लेख किया है, और मांग किया है कि मेरी बी0एड0 प्रथम वर्ष की प्रायोगिक परीक्षा करा लिया जाय, रूपाली सिंह ने अस्पताल में अपने को एडमिट होने एवं डिस्जार्ज होने से सम्बन्धित अस्पताल की रिपोर्ट की छायाप्रति संलग्न किया है। बी0एड0 प्रथम वर्ष की प्रायोगिक परीक्षा कराने के सम्बन्ध में संकायाध्यक्ष ने उल्लेख किया है कि "बी0एड0 आर्डिनेन्स में बी0एड0 की छूटी प्रायोगिक परीक्षा कराने का प्राविधान नहीं हैं। परीक्षा समिति में रखकर निर्णय लिया जा सकता है।" तदक्रम में रूपाली सिंह के प्रकरण पर विचार।

(ग) कंचन मौर्या, बी0एड0 द्वितीय वर्ष–2017, केन्द्र–शान्ति सशक्तिकरण महाविद्यालय, सिधुवापार, बड़हलगंज, गोरखपुर की छात्रा हैं, इन्होंने ने अपने आवेदन में बी0एड0 द्वितीय वर्ष–2017, प्रायोगिक परीक्षा, अस्वस्थ होने के कारण छूट जाने का उल्लेख किया है, और मांग किया है कि मेरी बी0एड0 द्वितीय वर्ष की प्रायोगिक परीक्षा करा लिया जाय, कंचन मौर्या ने अस्पताल में अपने को एडमिट होने एवं डिस्चार्ज होने से सम्बन्धित अस्पताल की रिपोर्ट की छायाप्रति संलग्न किया है। बी0एड0 द्वितीय वर्ष की प्रायोगिक परीक्षा कराने के सम्बन्ध में संकायाध्यक्ष ने उल्लेख किया है कि "परीक्षा समिति में निर्णय लेना चाहें।" तदक्रम में कंचन मौर्या के प्रकरण पर विचार।

निर्णय–समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि विशेष परिस्थिति के दृष्टिगत (क) अंजली जायसवाल, बी0एड0 द्वितीय वर्ष–2017, केन्द्र–विमल महिला महाविद्यालय, मानस विहार, पादरी बाजार, गोरखपुर (ख) रूपाली सिंह, बी0एड0 प्रथम वर्ष–2017, केन्द्र–रामचन्द्र उपाध्याय महाविद्यालय धनौती भाटपाररानी, देवरिया (ग) कंचन मौर्या, बी0एड0 द्वितीय वर्ष–2017, केन्द्र–शान्ति सशक्तिकरण महाविद्यालय, सिधुवापार, बड़हलगंज, गोरखपुर की छूटी प्रायोगिक परीक्षा हेतु परीक्षाफार्म व परीक्षा शुल्क जमा कराकर छूटी हुई प्रायोगिक परीक्षा करा लिया जाय तथा भविष्य में इसे नजीर न माना जाय।

7. छात्र राधेश्याम पुत्र ज्ञानी, अनुक्रमांक–303102, सन्त विनोबा पी0जी0 कालेज, देवरिया ने अपने आवेदन में उल्लेख किया है कि वर्ष–1975 में हाईस्कूल, 1977 में इन्टरमीडिएट एवं वर्ष–1979 में स्नातक उत्तीर्ण हूँ और उसमें मेरे पिता का नाम ज्ञानी अंकित है। मैं एल0एल–बी0 की परीक्षा वर्ष–1983 में उत्तीर्ण हूँ और इसमें मेरे पिता का नाम त्रुटिवश [illegible] अंकित है। मेरे पिता का नाम एल0एल–बी0 की उपाधि में विपनी प्रसाद के स्थान पर ज्ञानी [illegible] विपन्नी प्रसाद के स्थान पर ज्ञानी अंकित करने पर विचार। [illegible] हाई स्कूल, इन्टरमीडिएट [illegible] एल0एल–बी0 की उपाधि की [illegible]

निर्णय–समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि राधेश्याम पुत्र ज्ञानी, एल0एल–बी0 वर्ष–1983, अनुक्रमांक–303102, सन्त विनोबा पी0जी0 कालेज, देवरिया के हाई स्कूल के प्रमाण पत्र के आधार पर सारणीयन पंजिका में राधेश्याम के पिता का नाम विप्नी प्रसाद के स्थान पर ज्ञानी संशोधित कर उपाधि निर्गत कर दिया जाय।

[illegible] सहजनवां, गोरखपुर से बी0पी0 भाग एक वर्ष–2010, [illegible] एवं बी0पी0 भाग दो वर्ष–2012

[illegible]
अंकित है, किन्तु हाईस्कूल प्रमाण-पत्र, इण्टरमीडिएट प्रमाण पत्र बी0एड0 वर्ष--2015 में अभ्यर्थीनी का नाम कु0 कंचन पाण्डेय तथा पिता का नाम कौशल कुमार पाण्डेय अंकित है। स्नातक स्तर पर अभ्यर्थीनी का नाम कु0 कंचन त्रिपाठी के स्थान पर कु0 कंचन पाण्डेय एवं पति का नाम रविप्रकाश राम त्रिपाठी के स्थान पर पिता का नाम कौशल कुमार पाण्डेय संशोधित करने पर विचार।

निर्णय-- समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि हाई स्कूल प्रमाण पत्र के आधार पर कु0 कंचन त्रिपाठी के स्थान पर कु0 कंचन पाण्डेय एवं पति का नाम रविप्रकाश राम त्रिपाठी के स्थान पर पिता का नाम कौशल कुमार पाण्डेय सारणीयन पंजिका में संशोधित कर अंकतालिका निर्गत कर दी जाय।

(ख) संध्या चौहान पुत्री राजमन चौहान, बी0ए0 भाग एक वर्ष--2008, अनुक्रमांक--1078010356, बी0ए0 भाग दो वर्ष--2009, अनुक्रमांक--2060780265 एवं बी0ए0 भाग तीन वर्ष--2010, अनुक्रमांक--31115100249 की अंकतालिका में अभ्यर्थीनी के पिता का नाम राजमन चौहान के स्थान पर रामजगत चौहान अंकित है। साक्ष्य के रूप में प्रार्थीनी ने हाईस्कूल प्रमाण--पत्र, इण्टरमिडिएट प्रमाण, पैनकार्ड की छायाप्रति तथा शपथ पत्र संलग्न किया है। अभ्यर्थीनी के पिता के नाम रामजगत चौहान के स्थान पर राजमन चौहान संशोधित करने पर विचार।

निर्णय-- समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि संध्या चौहान पुत्री राजमन चौहान, बी0ए0 भाग एक वर्ष--2008, अनुक्रमांक--1078010356, बी0ए0 भाग दो वर्ष--2009, अनुक्रमांक--2060780265 एवं बी0ए0 भाग तीन वर्ष--2010, अनुक्रमांक--31115100249 के हाई स्कूल प्रमाण पत्र के आधार पर संध्या चौहान के पिता का नाम रामजगत चौहान के स्थान पर राजमन चौहान सारणीयन पंजिका में संशोधित कर अंकतालिका निर्गत कर दी जाय।

9. बी0ए0 / बी0एस--सी0 / बी0एस--सी0 (गृहविज्ञान) / बी0काम0 भाग एक, भाग दो एवं भाग तीन के वे अभ्यर्थी जो केवल एक विषय के सभी प्रश्नपत्रों में अनुपस्थित हों, शेष विषयों में उत्तीर्ण हों तथा कक्षा उत्तीर्णांक (198) प्राप्त हो। ऐसे परीक्षार्थियों का अनुपस्थित होने वाले विषय में बैकपेपर की परीक्षा में सम्मिलित कराने पर विचार।

निर्णय-- समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि बी0ए0 / बी0एस--सी0 / बी0एस--सी0 (गृहविज्ञान) / बी0काम0 भाग एक, भाग दो एवं भाग तीन के वे अभ्यर्थी जो केवल एक विषय के सभी प्रश्नपत्रों में अनुपस्थित हों, शेष विषयों में उत्तीर्ण हों तथा कक्षा उत्तीर्णांक (198) प्राप्त हो। आगामी वार्षिक परीक्षाओं में इस तरह के परीक्षार्थियों को अनुपस्थित होने वाले विषय में बैकपेपर की परीक्षा हेतु अर्ह मानते हुए बैकपेपर की परीक्षा में सम्मिलित करा लिया जाय।

10. (क) सुरेन्द्र श्रीवास्तव के प्रतिवेदन दिनांक 17 / 07 / 2017 के क्रम में स्वाती श्रीवास्तव के एम0एस--सी0 (वनस्पति विज्ञान) प्रथम सेमेस्टर के द्वितीय प्रश्नपत्र में रीबैक की परीक्षा के सम्बन्ध में अभिमत हेतु माननीय कुलपति जी द्वारा गठित समिति की बैठक दिनांक 29 / 08 / 2017 की संस्तुति पर विचार।

निर्णय-- स्वाती श्रीवास्तव एम0एस--सी0 (वनस्पति विज्ञान) द्वितीय सेमेस्टर, तृतीय सेमेस्टर तथा चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण हैं, किन्तु एम0एस--सी0 वनस्पति विज्ञान प्रथम सेमेस्टर में रीबैक की परीक्षा में बीमार होने के कारण सम्मिलित नही हो सकीं, तदक्रम में समिति ने सर्वसम्मति से गठित समिति की संस्तुतियो को स्वीकार करते हुए छात्रहित के दृष्टिगत गठित समिति की संस्तुति के क्रम में स्वाती श्रीवास्तव को एम0एस--सी0 (वनस्पति विज्ञान) प्रथम सेमेस्टर की आगामी परीक्षा में रीबैक के रूप में सम्मिलित कराने का निर्णय लिया।

(ख) संध्या मौर्या द्वारा आई0जी0आर0एस0 (जनसुनवाई) के तहत मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रेषित प्रतिवदन दिनांक 24 / 05 / 2017 में की गयी शिकायती बिन्दुओं की जांच एवं संध्या मौर्या के एम0एस--सी0 (गणित) तृतीय सेमेस्टर में प्रथम प्रश्नपत्र की बैकपेपर की परीक्षा के सम्बन्ध में अभिमत हेतु माननीय कुलपति जी द्वारा गठित समिति की बैठक दिनांक 29 / 08 / 2017 की संस्तुतियों पर विचार।

निर्णय-- समिति ने सर्वसम्मति से संध्या मौर्या के प्रकरण में गठित समिति की बैठक दिनांक 29 / 08 / 2017 में की गयी संस्तुतियों को स्वीकार किया तथा यह निर्णय लिया कि संस्तुतियों के अनुसार संध्या मौर्या के प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही सम्पन्न की जाय तथा संध्या मौर्या को एम0एस--सी0 (गणित) तृतीय सेमेस्टर की आगामी परीक्षा में बैकपेपर के रूप में सम्मिलित करा लिया जाय।

(ग) कु0 हर्पिता पाण्डेय द्वारा आई0जी0आर0एस0 (जनसुनवाई) के तहत मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रेषित प्रतिवेदन दिनांक 05 / 01 / 2017 में की गयी शिकायती बिन्दुओं की जांच एवं हर्पिता पाण्डेय के एम0एस--सी0 (गणित) प्रथम सेमेस्टर बैकपेपर के परीक्षाफल तथा एम0एस--सी0 (गणित) तृतीय सेमेस्टर बैकपेपर की परीक्षा हेतु माननीय कुलपति जी द्वारा गठित समिति की बैठक दिनांक 29 / 08 / 2017 की संस्तुतियों पर विचार।

निर्णय-- समिति ने सर्वसम्मति से हर्पिता पाण्डेय के प्रकरण में गठित समिति की संस्तुतियों को स्वीकार किया [illegible] वर्ष 2016 की परीक्षा में

[illegible] महाविद्यालय से मंगाकर कु0 हर्षिता पाण्डेय का परीक्षाफल घोषित कर दिया जाय तथा एम0एस–सी (गणित) तृतीय सेमेस्टर की बैकपेपर की आगामी परीक्षा में कु0 हर्षिता पाण्डेय को सम्मिलित करा लिया जाय।

11. डॉ0 अखिलेश्वर प्रसाद शुक्ल का नाम अभिलेख कक्ष के सारणीयन पंजिका में अनुक्रमांक–170419 पर अंकित है, किन्तु उसे निरस्त करके परीक्षाफल अनुक्रमांक–170456 आवंटित करके प्रथम श्रेणी में घोषित है। जबकि विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के सारणीयन पंजिका में उन्हें अनुक्रमांक–170419 पर ही अंकतालिका निर्गत की गयी है, जो विसंगति पैदा कर रहा है। अभिलेख कक्ष की आख्या है कि किन परिस्थितियों में इनका अनुक्रमांक परिवर्तित किया गया है, तथा विभाग द्वारा कैसे इन्हें अनुक्रमांक–170419 पर अंकतालिका निर्गत कर दिया गया है। डॉ0 अखिलेश्वर प्रसाद शुक्ल, के प्रकरण पर विचार।

(नोट– उक्त प्रकरण परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 13/11/2003 के बिन्दु संख्या–8 पर रखा गया था। डॉ0 अखिलेश्वर प्रसाद शुक्ल, एम0ए0 (संस्कृत) अंतिम वर्ष–2000, अनुक्रमांक 170456 के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 07/05/2003 पर विधि सलाहकार की राय पर कुलपति महोदय द्वारा परीक्षाफल घोषित करने से अवगत होना। निर्णय–समिति कुलपति के आदेश से अवगत हुई।)

निर्णय– समिति ने सर्वसम्मति से प्रकरण से सम्बन्धित माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति डॉ0 अखिलेश्वर प्रसाद शुक्ल द्वारा प्रस्तुत करने हेतु निर्देश देने का निर्णय लिया, तदपश्चात विधिक राय प्राप्त कर निर्णय लेने हेतु माननीय कुलपति जी को अधिकृत किया।

12. वार्षिक परीक्षा वर्ष–2017, स्नातक प्रथम वर्ष (एक विषय) के परीक्षा फार्म आनलाईन के माध्यम से भरा गया जिसमें छात्र नियमानुसार स्नातक अंतिम वर्ष जिस केन्द्र से उत्तीर्ण होता है, उसी केन्द्र से एक विषय के लिए आवेदन कर सकता है। विश्वविद्यालय केन्द्र पर कुछ अभ्यर्थियों का परीक्षाफल विदहेल्ड (W) लगा कर रोक दिया गया है, जो अन्य केन्द्र से उत्तीर्ण हैं और विश्वविद्यालय केन्द्र से आवेदन किए हैं और परीक्षा में सम्मिलित हो गये। ऐसे अभ्यर्थियों के परीक्षाफल पर विचार।

निर्णय– समिति ने विस्तृत विचारोपरान्त छात्रहित में ऐसे छात्रों का परीक्षाफल घोषित करने का निर्णय लिया।

13. सुन्दरराम, विधि भाग तीन, अनुक्रमांक–18765, वर्ष–1978, केन्द्र–तिलकधारी कालेज, जौनपुर से परीक्षा उत्तीर्ण हैं इन्हें अंकतालिका भी निर्गत की गयी है। इन्होंने उपाधि प्राप्त करने हेतु आवेदन किया तो ज्ञात हुआ कि अभिलेख कक्ष की सारणीयन पंजिका में XVII (सत्रहवें) प्रश्नपत्र में 35 अंक प्राप्त है और परीक्षाफल द्वितीय श्रेणी दर्शाने के बाद पुनः रिवीजन काटकर R-17 अंकित किया गया जबकि उसी सारणीयन पंजिका में 35 अंक प्राप्त अन्य छात्र को 1 अंक कृपांक देकर उत्तीर्ण किया गया है। सुन्दरराम के विधि भाग तीन की उपाधि निर्गत करने पर विचार।

निर्णय– समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि सुन्दरराम, विधि भाग तीन, अनुक्रमांक–18765, वर्ष–1978, केन्द्र–तिलकधारी कालेज, जौनपुर को अभिलेख कक्ष की सारणीयन पंजिका में XVII (सत्रहवें) प्रश्नपत्र में 01 अंक कृपांक अंकित कर सुन्दरराम के विधि भाग तीन की उपाधि निर्गत कर दी जाय।

14. वार्षिक परीक्षा में परीक्षकों/मूल्यांकन समन्वयकों एवं सहसमन्वयकों द्वारा मूल्यांकन एवं प्रायोगिक परीक्षा में एक वर्ष में निर्धारित धनराशि देय की सीमा रू0 40,000.00 है, निर्धारित धनराशि की सीमा बढ़ोत्तरी की मांग परीक्षकों द्वारा की जा रही है। परीक्षकों द्वारा वर्ष भर में उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन एवं प्रायोगिक परीक्षा में निर्धारित धनराशि की सीमा बढ़ोत्तरी पर विचार।

निर्णय– समिति ने सर्वसम्मति से प्रकरण को वित्त समिति को संदर्भित किया तथा प्रस्तावित किया कि यह सीमा बढ़ाकर रू0 70,000–00 कर दिया जाय।

15. प्रो0 गार्गीनाथ, विभागाध्यक्ष, एम0बी0ए0 विभाग ने कुलपति जी को सम्बोधित अपने पत्र दिनांक 09/10/2017 के द्वारा अवगत कराया है कि एम0बी0ए0 प्रथम वर्ष सत्र 2016–17 के चार छात्रों की ए0के0टी0यू0 लखनऊ ने [illegible] शुल्क रू0 20,000/– (बीस हजार रूपये प्रति छात्र) दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर [illegible] के कारण उनका परीक्षाफल W1 में रोक दिया गया था, [illegible] परीक्षा शुल्क रू0 2100/– जमा किया जा चुका है। [illegible] शुल्क ए0के0टी0यू0 से वापस नहीं प्राप्त होने [illegible] परीक्षाफल [illegible] निम्न–

S.N.	Roll No.	Name
1	1714130010012	PRIYANKA MISHRA (MBA Ist Year)
2	1714130010022	AVIRAL KR SRIVASTAVA (MBA Ist Year)
[illegible]	17141300100[illegible]	SYED AFFAN ASHRAF (MBA Ist Year)

[illegible]

निर्णय– समिति ने संकायाध्यक्ष की संस्तुति के अनुरूप निर्णय लिया कि एम0बी0ए0 प्रथम वर्ष सत्र 2016–17 के छात्र क्रमशः अनुक्रमांक–1714130010012, PRIYANKA MISHRA, अनुक्रमांक–1714130010022, AVIRAL KR SRIVASTAVA तथा अनुक्रमांक–1714130010041, SYED AFFAN ASHRAF के परीक्षाफल में विदहेल्ड (W1) काट कर परीक्षाफल घोषित कर दिया जाय तथा चतुर्थ सेमेस्टर तक शुल्क प्राप्त नहीं होता है तो इनका चतुर्थ सेमेस्टर का परीक्षाफल रोक दिया जाय। इसकी निगरानी संकायाध्यक्ष द्वारा भी की जाय।

16. माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल रिट याचिका संख्या–25815/2017 मनोज कुमार शुक्ल बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित निर्देश/आदेश **"In View of the statement made above, in case an application for the Degree is filed, the needful be done within a period of three weeks, thereafter."** (Order Date-31.05.2017) के सन्दर्भ में माननीय कुलपति जी के आदेश दिनांक 30/06/2017 के क्रम में श्री मनोज कुमार शुक्ल पुत्र श्री प्रभुनाथ शुक्ला, अनुक्रमांक–43895, बी0ए0 तृतीय वर्ष–1998, केन्द्र– सन्त विनोबा महाविद्यालय, देवरिया की अंकतालिका की जांच हेतु निम्नवत की एक समिति का गठन किया गया है–

1. प्रो0 चन्द्रशेखर, विधि विभाग	–	संयोजक
2. डॉ0 ध्यानेन्द्र नारायण दूबे, प्राचीन इतिहास विभाग	–	सदस्य
3. प्राचार्य, सन्त विनोबा पी0जी0 कालेज, देवरिया	–	सदस्य
4. परीक्षा नियंत्रक	–	प्रस्तुतकर्ता

समिति ने प्रकरण की जांच कर अपनी संस्तुति कुलपति जी को प्रेषित की गयी है, जिसके क्रम में कुलपति जी ने जाँच समिति की संस्तुति को परीक्षा समिति में रखने हेतु निर्देशित किया है। तदक्रम में जांच समिति की आख्या पर विचार।

निर्णय– जांच समिति की आख्या में दर्ज है कि–

"समिति ने विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के सारणीयन पंजिका के अवलोकनोपरान्त पाया कि महाविद्यालय के सारणीयन पंजिका में बी0ए0 तृतीय वर्ष अर्थशास्त्र विषय में पूर्णांक 300 में 88 अंक प्राप्त किया और उसे चिन्हित करने के लिए घेरा गया है एवं रिजल्ट के कॉलम में III दर्ज है। विश्वविद्यालय के सारणीयन पंजिका में 88 को घेरा नहीं गया है, लेकिन रिजल्ट में III दर्ज है। साथ ही न्यूनतम अंक/उत्तीर्णांक के कॉलम में 99/300 दर्ज है। यहाँ यह स्पष्ट है कि विश्वविद्यालय स्तर पर तत्कालीन सारणीयक (Tabulator) एवं परितुलनकर्ता (Collator) व महाविद्यालय स्तर पर अंकपत्र जारी करने वाले तत्कालीन लिपिक/चेकर की प्रथम दृष्ट्या त्रुटि/चूक है। इस त्रुटि हेतु इन सभी को चेतावनी जारी करना प्रस्तावित है। साथ ही सम्बन्धित छात्र का भी दायित्व बनता था कि वह अपने महाविद्यालय को अवगत कराता कि प्राप्त अंकतालिका में अर्थशास्त्र विषय के न्यूनतम अंक (उत्तीर्णांक) कॉलम में 99 दर्ज था, तो 88 अंक पर उत्तीर्ण कैसे दर्ज है, जबकि कृपांक के कॉलम में कुछ भी दर्ज नहीं है (तत्समय अधिकतम कृपांक 5 अंक की व्यवस्था थी)।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर समिति यह संस्तुति करती है कि–

1. छात्र बी0ए0 तृतीय वर्ष अर्थशास्त्र विषय में अनुत्तीर्ण है एवं इस आधार पर स्नातक तृतीय वर्ष में अनुत्तीर्ण है।
2. स्नातक तृतीय वर्ष की जारी अंकतालिका निरस्त की जाय एवं उपाधि किसी भी दशा में निर्गत न किया जाय।"

तदक्रम में परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से जाँच समिति की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए श्री मनोज कुमार शुक्ल पुत्र श्री प्रभुनाथ शुक्ला, अनुक्रमांक–43895, बी0ए0 तृतीय वर्ष–1998, केन्द्र–सन्त विनोबा महाविद्यालय, देवरिया की स्नातक तृतीय वर्ष की जारी अंकतालिका निरस्त करने, विश्वविद्यालय अभिलेख कक्ष एवं महाविद्यालय की सारणीयन पंजिका में परीक्षाफल संशोधित करने एवं अनुत्तीर्ण की अंकतालिका जारी करने तथा उपाधि किसी भी दशा में निर्गत न करने का निर्णय लिया साथ ही तत्समय के सम्बन्धित सारणीयक एवं परितुलनकर्ता एवं महाविद्यालय स्तर से अंकपत्र जारी करने वाले तत्कालीन लिपिक/चेकर को कड़ी चेतावनी जारी करने का निर्णय लिया। साथ ही यदि सारणीयक एवं परितुलनकर्ता सेवा में हों तो इन्हें इस कार्य से सदैव के लिए वंचित किया जाय।

17. कु0 सुनिता प्रजापति बी0ए0 भाग तीन वर्ष 2013 में अनुक्रमांक–6111150268 से पी–7 के अनुसार हिन्दी प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय प्रश्नपत्र की परीक्षा में [illegible] है किन्तु तत्समय उत्तरपुस्तिका मूल्यांकन एजेन्सी द्वारा उक्त अनुक्रमांक की हिन्दी तीनों प्रश्नपत्रों [illegible] की रिपोर्ट दी गयी है। [illegible] की परीक्षा

[illegible]
कराया गया है, परन्तु अनुक्रमांक—6111150268 बी0ए0 भाग तीन हिन्दी प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय प्रश्नपत्र का अंक उपलब्ध नहीं है। प्रकरण आई0जी0आर0एस0 (जनसुनवाई) मुख्यमंत्री कार्यालय, लखनऊ से सम्बन्धित है। अतः कु0 सुनैना प्रजापति बी0ए0 भाग तीन वर्ष—2013 में अनुक्रमांक—6111150268 हिन्दी प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय प्रश्नपत्र में औसत अंक देने पर विचार।

निर्णय— समिति ने सर्वसम्मति निर्णय लिया कि कु0 सुनैना प्रजापति, बी0ए0 भाग तीन वर्ष—2013 की परीक्षा में समाज शास्त्र एवं हिन्दी विषय के तीनों प्रश्नपत्रों की परीक्षा में सम्मिलित हैं, किन्तु इनका समाज शास्त्र प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय प्रश्नपत्र का अंक सारणीयन पंजिका में अंकित है तथा हिन्दी प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय प्रश्नपत्र उत्तरपुस्तिका न मिलने के कारण अपूर्ण हैं। सुनैना प्रजापति को हिन्दी विषय के तीनों प्रश्नपत्र में अंक किस आधार पर दिया जाय इस हेतु परीक्षा समिति द्वारा निम्नवत की एक समिति का गठन किया गया—

1. अधिष्ठाता, विज्ञान संकाय, दी0द0उ0गो0वि0गोरखपुर — संयोजक
2. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, दी0द0उ0गो0वि0गोरखपुर — सदस्य
3. परीक्षा नियंत्रक — सदस्य/सचिव

18. शमा फिरदौस सिद्दीकी पुत्री मुश्ताक आलम एम0एस—सी0 भाग दो प्राणि विज्ञान, अनुक्रमांक—8559, वर्ष—1981, केन्द्र—शिवहर्ष किसान, पी0जी0 कालेज, बस्ती ने अपनी उपाधि की मांग की है। शमा फिरदौस सिद्दीकी से सम्बन्धित सारणीयन पंजिका का पेज अभिलेख कक्ष में उपलब्ध नहीं है। जिसके सम्बन्ध में प्राचार्य, शिवहर्ष किसान पी0जी0 कालेज, बस्ती को पत्र प्रेषित किया गया था। प्राचार्य ने अपने पत्र के द्वारा अवगत कराया है कि शमा फिरदौस सिद्दीकी से सम्बन्धित सारणीयन पंजिका का रखरखाव अथवा क्षतिग्रस्त होने के कारण उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, के क्रम में शमा फिरदौस सिद्दीकी की उपाधि निर्गत करने के प्रकरण पर विचार।

निर्णय— समिति ने सर्वसम्मति से इस सम्बन्ध में आख्या देने हेतु निम्न की एक समिति का गठन किया—

1. अधिष्ठाता, विज्ञान संकाय, दी0द0उ0गो0वि0गोरखपुर — संयोजक
2. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, दी0द0उ0गो0वि0गोरखपुर — सदस्य
3. परीक्षा नियंत्रक — सदस्य/सचिव

19. परास्नातक कक्षाओं में समसेस्टर प्रणाली की परीक्षा हेतु निर्मित अध्यादेश के अनुसार कु0 ज्योति सिंह, अनुक्रमांक—7577450007, एम0एस—सी0 (वनस्पति विज्ञान) प्रथम वर्ष—2014 भूतपूर्व परीक्षा एवं अनुक्रमांक—6587450002, एम0एस—सी0 (वनस्पति विज्ञान) द्वितीय वर्ष—2013 संस्थागत परीक्षा की अंकतालिका निर्गत हो गयी है। अंकतालिका में परीक्षा वर्ष की तारतम्यता न होने के कारण अंकतालिका में अंकित वर्ष में असमंजस की स्थिति पैदा हो गयी है। इसी प्रकार कई अन्य परीक्षार्थियों का भी प्रकरण है। ज्योति सिंह एवं अन्य परीक्षार्थियों के प्रतिवेदन के साथ संलग्न एम0एस—सी0 प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष की निर्गत अंकतालिकाओं में अंकित परीक्षा वर्ष के तारतम्यता के निराकरण हेतु माननीय कुलपति जी के आदेश दिनांक 29/05/2017 के अनुपालन में निम्नवत की एक समिति का गठन किया गया है—

1. प्रो0 एस0के0 दीक्षित, आचार्य, भूगोल विभाग — संयोजक
2. प्रो0 एस0के0 सेन गुप्ता, अधिष्ठाता विज्ञान संकाय — सदस्य
3. प्रो0 गोपी नाथ, आचार्य, वाणिज्य विभाग — सदस्य
4. प्रभारी, ई0डी0पी0 सेल — सदस्य
5. परीक्षा नियंत्रक — सदस्य/सचिव

गठित समिति की बैठक दिनांक 09/09/2017 में की गयी संस्तुति पर विचार।

निर्णय— समिति ने सर्वसम्मति से कु0 ज्योति सिंह के प्रकरण पर गठित समिति की बैठक दिनांक 09/09/2017 में की गयी संस्तुतियों को स्वीकार किया तथा संस्तुति के क्रम में यह निर्णय लिया कि ज्योति सिंह एम0एस—सी0 वनस्पति विज्ञान प्रथम वर्ष—2012 में प्रवेशित हैं इसलिए इनके प्रथम वर्ष की अंकतालिका में परीक्षा वर्ष—2014 के नीचे नोट हेडिंग में *मूल परीक्षा वर्ष—2012* अंकित किया जाय तथा इस आशय का नोट वर्ष—2014 की सारणीयन पंजिका में सम्बन्धित अनुक्रमांक के परीक्षाफल के सम्मुख अंकित किया जाय कि *परीक्षार्थी एम0एस—सी0 (वनस्पति विज्ञान) प्रथम वर्ष—2012 का प्रवेशित छात्र है।* समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि इस प्रकार के अन्य परीक्षार्थियों के प्रकरणों में भी यही प्रक्रिया अपनायी जाय।

20. बी0एस—सी0 (फिजियोथिरेपी) एवं बी0एस—सी0 (पैथालाजी) पाठ्यक्रम हेतु तत्समय लागू अध्यादेश के अनुसार [illegible] में अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी अगली कक्षा में सम्मिलित करके प्रवेश प्राप्त कर परीक्षा में सम्मिलित होगा तथा अगले वर्ष [illegible] परीक्षा [illegible] की परीक्षा में सम्मिलित होगा। किन्तु [illegible]

[illegible]
[illegible] भाग तीन [illegible] परीक्षा में सम्मिलित करा दिया गया तथा बी0एस–सी0 (पैथालॉजी) भाग दो के अनुत्तीर्ण तीन विषय में बैकपेपर की परीक्षा में सम्मिलित करा दिया गया, जिसमें एक विषय में उत्तीर्ण हुए। वर्ष 2011 की परीक्षा में न सम्मिलित होकर पुनः दो विषय में वर्ष–2012 की परीक्षा में बैकपेपर के रूप में इन्हें महाविद्यालय द्वारा परीक्षा में सम्मिलित करा दिया गया। विक्रम बहादुर सिंह द्वारा बी0एस–सी0 (पैथालॉजी) भाग दो वर्ष–2012 दो विषयों के बैकपेपर परीक्षा का परीक्षाफल की मांग की गयी है।

परीक्षा गोपनीय अनुभाग की आख्या के अनुसार वर्ष–2012 की परीक्षा के उक्त दोनों विषयों के प्रतिपर्ण में विक्रम बहादुर सिंह का अनुक्रमांक–2142155037 का अंक उपलब्ध नहीं है। विक्रम बहादुर सिंह, बी0एस–सी0 (पैथालोजी) भाग तीन एवं भाग चार की परीक्षा में सम्मिलित होकर उत्तीर्ण हैं। महाविद्यालय के प्रबन्धक द्वारा अपनी आख्या दिनांक 25/10/2017 में यह उल्लेख करते हुए कि परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 26/03/2015 के निर्णय के अनुपालन में विक्रम बहादुर सिंह एवं इनके पिता को महाविद्यालय में बुलाकर कई बार अनुरोध किया गया कि बी0एस–सी0 (पैथालॉजी) भाग दो की परीक्षा भूतपूर्व के रूप में देने हेतु परीक्षाफार्म भर दिया जाय किन्तु परीक्षा में बैठने से मना कर दिये। विक्रम बहादुर सिंह को बी0एस–सी0 (पैथालॉजी) भाग दो की परीक्षा, परीक्षा–समिति द्वारा दिनांक 26/03/2015 में लिए गये निर्णय के अनुसार परीक्षा सम्पन्न करा ली जाय। तदक्रम में विक्रम बहादुर सिंह पुत्र शत्रुजीत सिंह के प्रतिवेदन दिनांक 12/08/2017 पर विचार।

(नोट–इस तरह के प्रकरण में परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 26/03/2015 में अध्यक्ष की अनुमति के बिन्दु संख्या–1 में निम्नवत निर्णय लिया गया है–

कार्यसूची–पैसफिक कालेज ऑफ फिजियोथिरेपी, हरखपुर गोरखपुर के ऐसे छात्र जो दो विषयों से अधिक विषयों में फेल हैं परन्तु उन्हें बैकपेपर तथा अगली कक्षा के परीक्षा में सम्मिलित करा दिया गया है, ऐसे अभ्यर्थियों के परीक्षाफल घोषित करने पर विचार।

निर्णय–समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि बैचलर ऑफ फिजियोथिरेपी एवं बैचलर ऑफ पैथालोजी के ऐसे अभ्यर्थियों को जो दो विषय से अधिक विषयों में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों द्वारा अगली कक्षा की दी हुई परीक्षा में यदि उत्तीर्ण हैं तो उक्त अंक सुरक्षित मानकर पिछली कक्षा जिसमें अनुत्तीर्ण हैं, की सम्पूर्ण विषयों की परीक्षा भूतपूर्व के रूप में सम्पन्न करा ली जाय। पिछले कक्षा में उत्तीर्ण होने के फलस्वरूप अगले कक्षा का जो अंक सुरक्षित है। परीक्षाफल पूर्ण कर परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया जाय।
परीक्षा समिति द्वारा लिए गये उपरोक्त निर्णय के क्रम में महाविद्यालय द्वारा प्राप्त कराये गये प्रतिवेदन के क्रम में बी0एस–सी0 (पैथालोजी) एवं बी0एस–सी0 (फिजियोथिरेपी) पाठ्यक्रम में तीन विषय में अनुत्तीर्ण 17 अभ्यर्थियों का उक्त कक्षा की परीक्षा भूतपूर्व के रूप में सम्पन्न कराकर परीक्षाफल घोषित कर अंकतालिका [illegible] कर दी गयी है, [illegible] की परीक्षा हेतु महाविद्यालय के माध्यम से विक्रम बहादुर सिंह का कोई [illegible] परीक्षाफार्म प्राप्त नहीं हुआ था।

निर्णय– समिति ने विस्तृत विचारोपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि बी0एस–सी0 (फिजियोथिरेपी) एवं बी0एस–सी0 (पैथालोजी) पाठ्यक्रम के जो परीक्षार्थी दो से अधिक विषय की परीक्षा में अनुत्तीर्ण थे तथा महाविद्यालय की त्रुटिवश अध्यादेश के विपरीत अगली कक्षा में प्रोन्नत कर तीन विषय की बैकपेपर एवं अगली कक्षा की परीक्षा में सम्मिलित हुए थे ऐसे परीक्षार्थियों के प्रकरण के सम्बन्ध में परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 26/03/2015 में लिए गये निर्णय के अनुपालन में अगले कक्षा की दी गयी परीक्षा का अंक संरक्षित कर, दो से अधिक विषय में अनुत्तीर्ण कक्षा की भूतपूर्व के रूप में परीक्षा सम्पन्न कराकर परीक्षाफल घोषित किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में विक्रम बहादुर सिंह के बी0एस–सी0 (पैथालॉजी) भाग दो वर्ष–2009 में तीन विषय में अनुत्तीर्ण होने के बावजूद भी विक्रम बहादुर सिंह द्वारा बी0एस–सी0 (पैथालॉजी) भाग दो वर्ष–2010 में तीन विषय में अनुत्तीर्ण विषय की बैकपेपर के रूप में दी गयी परीक्षा तथा बी0एस–सी0 (पैथालॉजी) भाग दो वर्ष–2012 में एक वर्ष के अन्तराल पर दो विषय के रूप में दी गयी परीक्षा अध्यादेश के अनुसार विधिक रूप से मान्य नहीं है, इसलिए परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 26/03/2015 एवं दिनांक 18/01/2016 में लिए गये निर्णय के अनुसार ही विक्रम बहादुर सिंह की बी0एस–सी0 (पैथालॉजी) भाग दो की परीक्षा भूतपूर्व के रूप में परीक्षाफार्म भराकर, परीक्षाशुल्क जमा कराकर भूतपूर्व के रूप में परीक्षा सम्पन्न करा कर परीक्षाफल घोषित कर दिया जाय।

[illegible] अधीक्षक, परीक्षा सामान्य अनुभाग के प्रस्तावनुरूप परीक्षा विभाग के आलमारियों में वर्ष–2012 के पूर्व की उपाधि का पुराना प्रोफार्मा उपयोग में न होने के कारण उनका नष्ट करने पर विचार।
निर्णय– समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि अधीक्षक, परीक्षा सामान्य अनुभाग के प्रस्तावनुरूप परीक्षा विभाग के आलमारियों में वर्ष–2012 के पूर्व की उपाधि का पुराना प्रोफार्मा उपयोग में न होने के कारण उनको नष्ट कर दिया जाय।

अन्य बिन्दु माननीय कुलपति जी की अनुमति से :

1- कुलपति जी के आदेश के क्रम में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय में होने वाली परीक्षाओं की स्वकेन्द्र प्रणाली की व्यवस्था को समाप्त करने हेतु नियम एवं व्यवस्था निर्धारित करने के लिए गठित समिति के द्वारा निर्मित प्रस्तावित नियम पर विचार।

निर्णय– समिति ने सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों की वार्षिक परीक्षा में स्वकेन्द्र प्रणाली की व्यवस्था समाप्त करने के निर्णय का अनुमोदन करते हुए समिति के द्वारा केन्द्र निर्धारण हेतु निर्मित नियमावली (प्रस्तावित) में कुछ संशोधन करते हुए अनुमोदन किया।

2- प्राश्निकों के देयक प्रपत्र कुछ मूल्यांकन केन्द्रों से पारित किये जाते हैं और कुछ प्राश्निकों के देयक प्रपत्र सबल कक्ष अनुभाग में पारित करने हेतु प्रेषित किये जाते हैं। ऐसी स्थिति में देयक प्रपत्र दोनों जगहों से पास होने की सम्भावना हो सकती है। प्राश्निकों के देयक प्रपत्र मूल्यांकन केन्द्र अथवा सबल कक्ष अनुभाग दोनों में से एक ही स्थान से पारित किये जाने पर विचार।

निर्णय– समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि प्राश्निकों के देयक प्रपत्र सबल कक्ष अनुभाग से ही पारित किए जायें, जिससे त्रुटि की संभावना न हो एवं जो प्राश्निक मूल्यांकन करने नहीं आ पाते हैं, उनके भी प्रश्नपत्र निर्माण के प्राश्निक का ससमय भुगतान हो सके।

3- विश्वविद्यालय केन्द्र पर उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन के समय कई बार किसी प्रश्नपत्र में कापियाँ 25 की संख्या से भी कम रहती है ऐसी दशा में बाहरी परीक्षक मूल्यांकन करने में रूचि नहीं लेते हैं। तदक्रम में ऐसे पेपर में परीक्षक को उत्तरपुस्तिका पारिश्रमिक हेतु एक सम्मानजनक धनराशि देने पर विचार।

निर्णय–समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि प्रायोगिक परीक्षा के समान, स्नातक एवं परास्नातक की न्यूनतम दर पर, किसी प्रश्नपत्र में उत्तरपुस्तिकाओं की संख्या कम रहने पर भी सम्मानजक पारिश्रमिक देने के प्रस्ताव के साथ ही प्रकरण को वित्त समिति को संदर्भित किया।

अन्त में अध्यक्ष को धन्यवाद के साथ समिति की कार्यवाही सम्पन्न हुई।

परीक्षा नियंत्रक

कुलपति